2010:सीजीएचसी:13256

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील संख्या 853/2003

श्रीमती राधिका

बनाम

मिनकेतन नायक और अन्य

और

(संबंधित विविध अपील संख्या 854/2003)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूँ

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

28.09.2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2010:सीजीएचसी:13256

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील संख्या 853/2003

अपीलार्थी : श्रीमती राधिका, पत्नी तेजराम नायक, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव नवापल्ली, डाकघर- बरमकेला, तह-सारंगढ़,जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीगण : 1. मिनकेतन नायक, पिता खिरसाय नायक, उम्र 62 वर्ष, (ट्रैक्टर - ट्रॉली का मालिक) ।

2. राम जीवन नायक पिता चंदूलाल नायक, उम्र 23 वर्ष, (चालक) ट्रैक्टर – ट्रॉली) ।

दोनों निवासी ग्राम नवापल्ली, डाकघर - बारमकेला, तहसील - सारंगढ़,जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

3. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक, सतीगुढी चौक, रायगढ़ ।

और

विविध अपील संख्या 854/2003

अपीलार्थीगण : 1. नरेश उर्फ तेजराम नायक, पिता मिनकेतन नायक, उम्र 35 वर्ष

2. श्रीमती राधिका, पत्नी तेजराम नायक, उम्र लगभग 27 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम नवापल्ली, डाकघर - बारामकेला, तहसील - सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : 1. मिनकेतन नायक, पिता खिरसाय नायक, उम्र 62 वर्ष,

(ट्रैक्टर - ट्रॉली का मालिक) ।

2. राम जीवन नायक पिता चंदूलाल नायक, उम्र 23 वर्ष,

(चालक) ट्रैक्टर – ट्रॉली) ।

दोनों निवासी ग्राम नवापल्ली, डाकघर - बारमकेला, तहसील - सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

3 . द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक,

सतीगुढी चौक, रायगढ़ ।

(मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील)

उपस्थित :

अपीलार्थीगण/ दावाकर्ता की ओर से : श्री रोशन दुबे, अधिवक्ता ।

मालिक और चालक की ओर से : श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता ।

बीमा कंपनी की ओर से : श्री श्री कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री आनंद गुप्ता, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(28.09.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा सुनाया गया :-

1. ये अपीलें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रायगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.6.2003 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं ।

2. आक्षेपित सामान्य निर्णय द्वारा दो दावा मामले अर्थात दावा मामला संख्या 5/2002 और दावा मामला संख्या 16/2002 का निपटारा किया गया ।

3. एम.ए. संख्या 853 / 2003, जो दायर दावा मामला संख्या 16 / 2002 से उत्पन्न हुई है, अपीलार्थी राधिका द्वारा उसे लगी व्यक्तिगत चोटों के लिए प्रस्तुत किया गया है और एम.ए. संख्या 854 / 2003, जो दायर दावा मामला संख्या 5 / 2002 से उत्पन्न हुई है, अपीलार्थीगण नरेश और राधिका, मृतक मनीष कुमार, लगभग 4 वर्ष के एक बालक के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया है । दोनों अपीलें मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर की गई हैं । एम.ए. संख्या 853 / 2003 में, मालिक और चालक ने एम. (सी.)पी. संख्या 1598 / 2004 के तहत एक प्रत्याक्षेप दायर की है । उन्होंने एम.ए. संख्या 854 / 2003 में एम.(सी.)पी. संख्या 1596 / 2004 के तहत भी एक प्रत्याक्षेप दायर की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं :-

दिनांक 26.08.2001 को, अपीलार्थी राधिका, उसका बेटा मनीष कुमार और कई अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर और ट्रॉली, जिनका पंजीकरण क्रमांक **MP**-55-**M**—0274 और **MP**-55—**M**—0275 है, से गणेश विसर्जन और पिकनिक के लिए गए थे । शाम को, जब वे पिकनिक से लौट रहे थे, तो ट्रैक्टर चालक के उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाना के कारण उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई । मनीष कुमार की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और राधिका को कई गंभीर चोटें

आईं । संबंधित पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श – पी/5) भी दर्ज कराई गई । अपीलार्थी राधिका ने मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 5,90,000 रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए दावा याचिका संख्या 16/2002 दायर की, जबकि मृतक मनीष कुमार की मृत्यु के लिए राधिका और उनके पति द्वारा 5,53,000 रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए एक अलग दावा याचिका 5/2002 दायर की गई । अपीलार्थी राधिका ने दलील दी कि उसकी दोनों भुजाओं में फ्रैक्चर है और उसकी किडनी में भी चोट आई है और अंततः उसकी एक किडनी निकाल दी गई और इस तरह, वह स्थायी रूप से विकलांग हो गई । फ्रैक्चर के इलाज और एक किडनी निकालने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदर्श - **A**/9 और प्रदर्श - **A**/61 के रूप में दाखिल किए गए थे । अपीलार्थी - राधिका द्वारा कोई स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मालिक और चालक ने अपना संयुक्त लिखित कथन दाखिल किया । उन्होंने दुर्घटना की बात स्वीकार की । हालाँकि, मालिक ने मुआवज़ा देने की अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार किया और दलील दी कि उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था,

इसलिए मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी बीमाकर्ता की थी । मालिक द्वारा इस तथ्य से कोई स्पष्ट इनकार नहीं किया गया कि दुर्घटना के समय मृतक और अन्य व्यक्ति ट्रॉली में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे । बीमा कंपनी ने भी लिखित बयान दायर किया और इस आधार पर मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से इनकार किया कि ट्रैक्टर और ट्रॉली का बीमा कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था और दावेदार और मृतक ट्रॉली में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, इसलिए बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दावा प्रकरण संख्या 16/2002 में, दावेदार ने स्वयं को आ. सा.-1 के रूप में परीक्षित किया और उसने अपनी दावा याचिका के समर्थन में डॉ. गोविंद साहू (आ. सा.-2), दुर्गेश कुमार नायक (आ. सा.-3) और नरेश नायक (आ. सा.-4) का भी परीक्षण किया । मालिक और चालक ने किसी भी गवाह का परीक्षण नहीं किया । बीमा कंपनी ने खंडन में श्री एलेक्जेंडर टोप्पो (अनावेदक साक्षी-1) का परीक्षण किया ।

न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद यह माना कि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक द्वारा उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई और दावेदार

मुआवज़ा पाने के हकदार हैं । न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि चूँकि ट्रैक्टर-ट्रॉली का बीमा कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था और इसका उपयोग उपर्युक्त तरीके से यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता था, इसलिए बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और मालिक और चालक दावेदारों को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार होंगे ।

जहाँ तक राधिका की दावा याचिका का संबंध है, न्यायाधिकरण ने किडनी के इलाज पर हुए खर्च के रूप में 18,650 रुपये और दावेदार के फ्रैक्चर के इलाज पर हुए खर्च के रूप में 20,300 रुपये का भी आदेश दिया । दावेदार द्वारा उसके इलाज में हुए खर्च के लिए प्रस्तुत अन्य बिलों को स्वीकार करते हुए, न्यायाधिकरण ने दावेदार राधिका के इलाज पर हुए कुल खर्च के रूप में 54,914.49 रुपये की राशि का आदेश दिया । न्यायाधिकरण ने दर्द और पीड़ा के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया । साथ ही, न्यायाधिकरण ने दावेदार को लगी चोटों के कारण भविष्य में उसकी कमाई की क्षमता में हुई हानि के लिए 85,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया । इस प्रकार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधिकरण ने मोटर दुर्घटना में दावेदार राधिका को लगी चोटों के लिए कुल 1,64,914.49 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया । दावा प्रकरण संख्या 5/2002 में, न्यायाधिकरण ने दावेदारों को उनके पुत्र मनीष कुमार की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए 50,000/- रुपये का एकमुश्त मुआवज़ा देने का आदेश दिया । दोनों ही मामलों में, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोशन दुबे ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को गलत तरीके से उनमोचित किया गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने दोनों दावा मामलों में कम मुआवज़ा निर्धारित किया है, इसलिए दोनों दावा मामलों में दिए गए मुआवज़े को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है ।

6. दूसरी ओर, बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्री कुमार अग्रवाल ने इन तर्कों का विरोध किया और दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया ।

7. मालिक और चालक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.एस. पटेल ने बीमा कंपनी को उनमोचित करने संबंधी श्री रोशन दुबे के तर्क का समर्थन किया । हालाँकि, उन्होंने मुआवज़े की राशि बढ़ाने संबंधी उनके तर्कों का विरोध किया ।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा दावा मामलों के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक बीमा कंपनी को उनमोचित करने का सवाल है, बीमा पॉलिसी से हमें पता चलता है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली का बीमा कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था और

अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि अपीलार्थी - राधिका, उसका बेटा मनीष कुमार और कई अन्य व्यक्ति ट्रॉली पर यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे । वे पिकनिक से लौटते समय उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार थे, जब दिनांक 26.08.2001 को यह ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई । ये तथ्य दावेदार की दलीलों में मौजूद हैं और इसका उल्लेख प्राथमिकी (प्रदर्श – पी/5) में भी किया गया है और यह दुर्गेश कुमार नायक (आ. सा.-3) के

साक्ष्य में भी आता है, जिन्होंने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई । मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें दावा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष में कोई दोष नहीं दिखता कि दुर्घटना के समय मृतक, घायल और कई अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर/ट्रॉली पर सवार थे, इसलिए, बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।

10. श्री पटेल ने यह भी तर्क दिया कि मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 97 के अनुसार, मेला, बाज़ार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोह जैसे विशेष अवसरों पर मालवाहक वाहन पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति है, इसलिए, मुआवजा देने की ज़िम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी । हम श्री पटेल के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. नियम 1994 का नियम 97 इस प्रकार है :-

"97. मालगाड़ी में व्यक्ति का वहन :-

(1) किसी सदभाविक कर्मचारी, स्वामी या किराएदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मालगाड़ी में इस नियम के अनुसार ही ले जाया जाएगा ।

(2) **xxxxxxx**

(3) **xxxxxxx**

(4) **xxxxxxx**

(5) **xxxxxxx**

(6) **xxxxxxx**

(7) उप-नियम (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उप-नियम (5) के प्रावधानों के अधीन, औद्योगिक संगठन, [नगरपालिका संस्थाओं, जल आपूर्ति संस्थाओं और गैर-कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रेलरों के अलावा, जिनका भार रहित भार 7300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकेंगे –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) मजदूरों को ले जाने के लिए और कृषक के परिवार के सदस्य को कृषि या कृषि से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए, जिसमें कृषि या वस्तुओं की बिक्री और खरीद शामिल है ।

(ii) मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहिक अवसरों पर व्यक्तियों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक नहीं होगी ।

(केवल प्रासंगिक भाग उद्धृत)

1994 के नियम 97 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उप-नियम (7) में निहित मालवाहक वाहनों का उपयोग मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य औपचारिक अवसरों पर व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल इस नियम में निहित प्रतिबंधित तरीके से अनुमति देने से बीमाकर्ता ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि मालिक और बीमाकर्ता के बीच उस सीमा तक बीमा का अनुबंध मौजूद न हो । वर्तमान मामले में, हमें मालिक और बीमाकर्ता के बीच ऐसा कोई अनुबंध नहीं मिला । ट्रैक्टर और ट्रॉली का बीमा केवल कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था और उपरोक्त नियम में उल्लिखित किसी भी निर्दिष्ट व्यक्ति के जोखिम को कवर करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया गया था । इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, बीमा कंपनी को 1994 के नियम 97 के प्रावधानों के आधार पर मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री पटेल ने यह भी तर्क दिया कि बीमा कंपनी को मालिक से अंतरिम मुआवजे की राशि वसूलने का निर्देश/स्वतंत्रता देना भी अनुचित थी । उन्होंने इंद्रा देवी एवं अन्य बनाम बगदा राम एवं अन्य, 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4924 के निर्णय का हवाला दिया । यह तर्क भी गलत है ।

13. इंद्रा देवी (पुर्वोक्त) मामले में, बिना किसी गलती के आधार पर किया गया दावा खारिज कर दिया गया था और बीमा कंपनी को दावेदारों / अपीलार्थीओं से ब्याज सहित अंतरिम मुआवजे की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया था । सर्वोच्च न्यायालय ने ईश्वरप्पा उर्फ महेश्वरप्पा एवं अन्य बनाम सी.एस. गुरुशांतप्पा एवं अन्य, 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4918 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण के उक्त निर्देश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उपरोक्त भुगतान 'बिना किसी गलती के सिद्धांत' पर किया गया है और 'बिना किसी गलती के' अभिव्यक्ति से पता चलता है कि धारा 140 के तहत मुआवजा उस व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक की परवाह किए बिना है जिसकी मृत्यु के संबंध में दावा किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रस्तुत मामले में, दावेदारों के दावों को खारिज नहीं किया गया और दावेदारों को मुआवज़ा पाने का हकदार माना गया और बीमा कंपनी को मुआवज़ा देने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया । ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की गई दोषरहित मुआवज़े की राशि मालिक से वसूल की जाएगी । उपरोक्त कारणों से, हमें दावा न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश में कोई दोष नहीं पाते है ।

15. अब हम मुआवजे की मात्रा के बारे में विचार करेंगे ।

16. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - बनाम - सैयद इब्राहिम और अन्य,** **(2007) 11** एससीसी **512** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका-10 में निम्नलिखित निर्णय दिया :

"नाज़ुक उम्र के छोटे बच्चों के मामलों में, अनिश्चितताओं के चलते, न तो मृत्यु के समय उनकी आय, न ही भविष्य में उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएँ, और न ही उनके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करियर में उन्नति की संभावनाओं का अनुमान के आधार पर उचित निर्धारण किया जा सकता है । इसका कारण यह है कि इतनी कम उम्र में, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, करियर में उपलब्धियों और उसके बाद जीवन में उन्नति के संबंध में इतनी अनिश्चितताएँ होती हैं कि कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं माना जा सकता । इसलिए, न तो मृत बच्चे की आय का अनुमान के आधार पर आकलन किया जा सकता है और न ही माता-पिता को हुए वित्तीय नुकसान का गणितीय गणना की जा सकती है ।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि मृतक की आयु लगभग 4 वर्ष थी । मृतक मनीष कुमार की मृत्यु के लिए अपीलार्थीओं को दिए गए 50,000/- के मुआवजे की राशि की जांच करने पर, जब सैयद इब्राहिम (पुर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और उसमें दी गई राशि के आलोक में जांच की गई, तो हमें मोटर दुर्घटना में मृतक मनीष कुमार की मृत्यु के लिए अपीलार्थीओं को दिए गए मुआवजे की उक्त राशि में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं मिली ।

17. जहाँ तक अपीलार्थी राधिका को दिए गए मुआवजे का सवाल है, न्यायाधिकरण ने उसके इलाज पर हुए खर्च के रूप में 54,914.49 रुपये का मुआवजा दिया है, जिसमें 18,650 रुपये किडनी के इलाज के लिए और 20,300 रुपये फ्रैक्चर के इलाज के लिए हैं और बाकी राशि दावेदार द्वारा उक्त अवधि के दौरान खरीदी गई विभिन्न दवाओं की राशि है । यह न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार द्वारा प्रस्तुत रसीदों के आधार पर दिया गया है । इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने दर्द और पीड़ा के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा भी दिया है । दावा याचिका में दी गई दलीलों के अनुसार, दावेदार - राधिका एक गृहिणी थीं । उनकी व्यक्तिगत आय से संबंधित कोई दलील नहीं है । इसलिए, न्यायाधिकरण ने काल्पनिक आधार पर उनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये मानी । यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दावेदार - राधिका को कोई स्थायी विकलांगता हुई है, हालाँकि, प्रमाण पत्रों (अप्रमाणित) और दावेदार के साक्ष्य के आधार पर, न्यायाधिकरण ने माना कि चूँकि दावेदार की एक किडनी निकाल दी गई थी, इसलिए यह निश्चित रूप से उसकी भविष्य की कमाई क्षमता को 50% तक प्रभावित करेगा । इसलिए, न्यायाधिकरण ने 51,000/- रुपये की उपरोक्त काल्पनिक आय में से 50% की कटौती की और दावेदार की आयु, जो 30-35 वर्ष के बीच थी, को देखते हुए 17 का गुणक 7,500/- रुपये पर लागू किया और भविष्य में कमाई करने की क्षमता में कमी का आकलन 1,27,500/- रुपये किया । चूँकि दावेदार ने एक किडनी निकालने के बाद शक्ति कम होने के कारण भविष्य में कमाई करने की क्षमता में कमी के लिए 85,000/- रुपये का दावा किया है, इसलिए न्यायाधिकरण ने इस मद में दावेदार को 85,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया । इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने दावेदार राधिका को मोटर दुर्घटना में लगी व्यक्तिगत चोटों के लिए कुल 1,64,914.49 रुपये (कुल 1,65,000 रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया । हम पाते हैं कि दावेदार द्वारा दायर सभी रसीदों की राशि न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और स्थायी विकलांगता के प्रमाण के अभाव में भी, न्यायाधिकरण ने भविष्य में कमाई की क्षमता के नुकसान के रूप में 85,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दुर्घटना के मामलों में मुआवज़ा देने से संबंधित कानून सुस्थापित है । मोटर वाहन अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरणों का दायित्व है कि वे दुर्घटना के तथ्य और साथ ही दोषी वाहन के चालक की ओर से की गई उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक के तथ्य का निर्धारण करने के बाद वास्तविक दावेदारों को "उचित और युक्तियुक्त" मुआवज़ा प्रदान करें । यह ध्यान में रखना होगा कि मुआवज़ा पीड़ित के लिए अप्रत्याशित रूप से मिलने की उम्मीद नहीं है । वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुआवज़ा न्यायसंगत होना चाहिए और यह कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता । न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का कर्तव्य है कि वे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करें और मुआवज़े की राशि निर्धारित करें, जो न्यायसंगत होनी चाहिए और जो विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों, और विशिष्ट या विशेष विशेषताओं, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगी । 'मुआवज़े के आकलन के लिए अपनाई गई प्रत्येक विधि या पद्धति को "न्यायसंगत" मुआवज़े की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण विचार है और इसके लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है । "न्यायसंगत" शब्द समता, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और मनमानी न करने का द्योतक है । **कृपया <u>हरियाणा राज्य और अन्य - बनाम जसबीर कौर और अन्य (2003) 7 एससीसी 484 और हेलेन सी.</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रेबेलो श्रीमती और अन्य - बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य, (1999) 1 एससीसी 90</u> देखें ।

19. यदि हम दावेदार - राधिका को दिए गए मुआवजे की जांच उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसे दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है ।

20. यद्यपि हमने (पुर्वोक्त) यह माना है कि बीमा कंपनी को सही रूप से उनमोचित किया गया था और मुआवजे की राशि भी युक्तियुक्त थी, फिर भी हम पाते हैं कि प्रत्याक्षेप भी अन्यथा स्वीकार्य नहीं थीं । अभिलाषा बाई बनाम अरविंद कुमार एवं अन्य, 2002 (2) एम.पी.एल.जे. 493 में, यह माना गया था कि प्रत्याक्षेप मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अर्थ में एक अपील है, इसलिए, धारा 173 के प्रथम प्रावधान के तहत आज्ञापक जमा राशि के बिना प्रत्याक्षेप स्वीकार्य नहीं होगी । वर्तमान मामलों में, वाहन के मालिक और चालक द्वारा कोई आज्ञापक जमा राशि नहीं किया गया है । इसलिए, मालिक और चालक द्वारा दायर प्रत्याक्षेप स्वीकार्य नहीं थीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त कारणों से, हमने दावेदारों द्वारा दायर इन अपीलों या मालिक एवं चालक द्वारा दायर प्रत्याक्षेप में कोई सार नहीं पाते है ।

22.दावेदारों द्वारा दायर अपीलें खारिज की जाती हैं ।

23.मालिक और चालक द्वारा एमसीपी संख्या 1596/2004 और एमसीपी संख्या 1598/2004 के तहत दायर की गई प्रत्याक्षेप भी खारिज की जाती हैं ।

24.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

सही /-
मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.